रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220131
CG-DL-E-24062020-220131

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942
No. 309] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सा.का.नि. 400(अ).—कुल्थी दाल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) 1986 तक संशोधित की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का विचार है, को उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वरा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. सभी आपत्तियों और सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

3. कोई भी व्यक्ति जो उपर्युक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियों अथवा सुझावों, यदि कोई हैं, तो वह अपना सुझाव विचारार्थ, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को अग्रेषित किया जा सकता है ।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.-

(1) इन नियमों का नाम कुल्थी दाल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 है;

(2) ये डोलिकोस बाइफ्लोरस और मैक्रोटायलोमा यूनिफ्लोरम पौधे से प्राप्त कुल्थी दाल पर लागू होंगे । इसे आम तौर पर कुल्थी दाल फली, हुराली, मद्रास दाल कहा जाता है;

(3) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''कृषि विपणन सलाहकार'' से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकृत पैकर'' से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार कुल्थी दाल का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;

(ग) ''प्राधिकार प्रमाण पत्र'' से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा कुल्थी दाल के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(ङ.) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 3 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक" अभिप्रेत है;

(च) "विधिक माप (पैक की गई वस्तुएं) नियमों से विधिक माप अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011 अभिप्रेत है; और

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकण) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम एवं नियम में हैं;

3. श्रेणी अभिधान चिह्न.- श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची-। में यथारूप से दिए गए सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना "एगमार्क प्रतीक" होगा।

4. श्रेणी अभिधान.- कुल्थी दाल की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची-II के श्रेणी अभिधान हेतु निर्धारित किए गए मापदंड के कॉलम एक में वर्णित किया गया है।

5. गुणवत्ता.- इन नियमों के प्रयोजन के लिए कुल्थी दाल की गुणवत्ता अनुसूची-II में दिये गए अनुसार होगी ।

6. पैकिंग करने की विधि.- (1) कुल्थी दाल की पैकिंग नए, स्वच्छ और शुष्क जूट के थैलों, कपड़े के थैलों, पॉलीवोवन थैलों जिनकी आंतरिक लाइनिंग फूड ग्रेड सामग्री की होगी या बायोडिग्रेडेब्ल पेकेजिंग सामग्री अथवा फूड ग्रेड के पॉलीपैकों या अन्य ऐसी किसी पैकिंग सामग्री में की जाएगी जो सामान्य श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अंतर्गत कृषि विपणन्न सलाहकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो;

(2) पैकेजिंग सामग्री कीट और फफूंदी के प्रभाव से मुक्त होगी और इससे उत्पाद में किसी विषाक्त पदार्थ, अवांछित गंध अथवा स्वाद का असर अथवा रंग नहीं आना चाहिए;

(3) कुल्थी दाल की पैकिंग विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार पैक आकारो में और कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी;

(4) समान लॉट/ बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा;

(5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान की कुल्थी दाल होगी;

(6) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके।

7. चिह्नांकन की विधि.- (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 11 के अनुसार सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा;

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा, अर्थात:-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) श्रेणी;

(ग) किस्म या ट्रेड नाम (वैकल्पिक);

(घ) लॉट संख्या;

(ड.) पैकिंग की तारीख;

(च) फसल वर्ष (वैकल्पिक);

(छ) शुद्ध भार;

(ज) पैकर का नाम और पता;

(झ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);

(ञ) ....माह..............वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम;

(ट) कोई अन्य विवरण जो विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियम अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अथवा किसी समय लागू कोई अन्य कानून अथवा इस

अधिनियम के प्रावधान के तहत जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों के अंतर्गत विर्निदिष्ट कोई अन्य विवरण।

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयोग की गई स्याही से कुल्थी दाल को संदूषित न करे।

(4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार अथवा इस निमित्त उसके ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा, परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित गुणवत्ता से भिन्न गुणवत्ता उपदर्शित नहीं करेगा।

8. प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें.-(1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा;

(2) कुल्थी दाल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्य प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन सामान्य श्रेणीकरण चिह्नांकन नियम 1988 के नियम 9 के अंतर्गत कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो;

(3) प्राधिकृत पैकर के परिसरों को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छाता की दशाओं में रखा जाएगा और इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे।

(4) प्राधिकृत पैकर के परिसरों में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह की दरारों, कृंतकों और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होगा ।

(5) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किए गए हों ।

अनुसूची-I

(नियम 3 देखें)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)

वस्तु का नाम..

श्रेणी...

अनुसूची –II

(नियम 4 और 5 देखें)

कुल्थी दाल का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

1. कुल्थी दाल *डोलिकोस बाइफ्लोरस* और *मैक्रोटायलोमा यूनिफ्लोरम* पौधे से प्राप्त की जाएगी।

2. न्यूनतम अपेक्षाएँ (i) कुल्थी दाल.-

(क) स्वाद एवं गंध में रूचिकर होगा और रंग एक समान होगा;

(ख) ठोस, अच्छी तरह साफ की हुई, धुली हुई, शुष्क, साबुत और कुल्थी दाल की किस्म की विशेषता से युक्त होगी ;

(ग) बाह्य पदार्थों जैसे कंकड़-पत्थर, गंदगी और धूल-मिट्टी आदि से मुक्त होगी;

(घ) किसी भी विजातीय स्वाद, गंध और किण्वन से मुक्त होगी ;

(ड.) जीवित कीटों, मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, माइट्स, कृंतक संदूषण और फफूंदी से मुक्त होगी;

(च) किसी भी अन्य योजित रंजक पदार्थ से मुक्त होगी ।

(ii) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीट नाशी जीवों और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन बनाए घरेलू व्यापार हेतु अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(iii) निर्यात के मामले में यह भारी धातुओं, कीटनाशी जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों निर्यात व्यापार के लिए या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

3. कुल्थी दाल के श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड:

तालिका

श्रेणी अभिधान	सहनीयता की अधिकतम सीमा (भार द्वारा प्रतिशत)							घुन लगा अनाज, गणना के हिसाब से प्रतिशत (अधिकतम)	यूरिक अम्ल (अधिकतम)
	नमी	विजातीय पदार्थ	अन्य खाद्य अनाज	अन्य किस्मों का मिश्रण	खराब अनाज		बदरंग बीज		
					गंभीर दोष	हल्का दोष			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विशेष	8.0	0.25	1.0	1.0	0.5	इसमें से 3% टूटी हुई दाल की मात्रा 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए	1.0	1.0	100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम
मानक	9.0	0.75	1.5	2.0	1.0	इसमें से 5% टूटी हुई दाल की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए	2.0	2.0	
साधारण	11.0	1.0*	2.0	4.0	1.0	इसमें से 7% टूटी हुई दाल की मात्रा 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए	3.0	5.0	

***टिप्पणी:** जिसमें मात्रा के 0.25 प्रतिशत से अधिक खनिज पदार्थ नहीं होंगे और मात्रा के 0.10 प्रतिशत से अधिक प्राणी मूल की अशुद्धियाँ नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - इस तालिका के प्रयोजनों के लिए, -

(1) "विजातीय पदार्थ" में अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ शामिल है। अकार्बनिक पदार्थों में रेत, बजरी, गंदगी, कंकड़, पत्थर, कांच और धातु के टुकड़े, मिट्टी के ढेले, और कीचड़ शामिल होंगे। कार्बनिक पदार्थों में भूसी, तिनके, खरपतवार और अन्य अखाद्य अनाज शामिल होंगे ।

(2) "अन्य खाद्य/खाद्यान्नों" का आशय विचारार्थ अनाजों को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों (तिलहन सहित) है।

(3) "अन्य किस्मों का मिश्रण" विचारार्थ वेरायटी को छोड़कर एक ही तरह के अनाज की वेरायटी की उपस्थिति से है ।

(4) "गंभीर दोष वाले अनाज" आशय ऐसे अनाज से है जिनके कौटिलेडन्स नाशकजीवों द्वारा प्रभावित किए गए हों या उन पर आघात किया गया हो; और ऐसे अनाजों से है जिनमें फफूंद के बहुत हल्के निशान मौजूद हों अथवा मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हों अथवा कौटिलेडन्स के हल्के धब्बे मौजूद हों ।

(5) हल्के दोषयुक्त अनाजों" का आशय ऐसे अनाज से है जिनमें अनाज विकास की सामान्य अवस्था में न पहुंचे हों, ऐसे बीज जिनमें कौटिलेडन प्रभावित हुए बिना अनाज आवरण पर व्यापक रूप से धब्बे पड़ गए हों, अनाज जिनके आवरण झुर्रीदार हों, अथवा वे मुड़े हुए अथवा टूटे हुए हों ।

(6) "घुन लगे अनाजों" का आशय ऐसे अनाजों/बीरियों से है जिन्हें अनाज के लिए हानिकारक कीटों द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से छिद्रित कर दिया गया हो लेकिन इनमें कीटाणुओं द्वारा खाए गए अनाज और अंडे के धब्बे वाले अनाज शामिल नहीं हैं ।

4. अन्य अपेक्षाएँ.- (i) कुल्थी दाल की स्थिति ऐसी होगी कि वह.-

(क) यातायात और हैंडलिंग की स्थिति का सामना कर सके;

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके ।

(ii) कुल्थी दाल को ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा और उचित साफ-सफाई तथा स्वास्थ्यपरक स्थिति में रखा जाएगा ।

[फा. सं. क्यू 11047/08/कुल्थी दाल/2019-मानक]

प्रसान्त कुमार स्वाईं, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th, June 2020

G.S.R. 400(E).—The following draft of the Horse Gram Grading and Marking Rules, 2020 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) is hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

2. Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the above said period shall be taken into consideration by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, in respect of the said draft rules, may forward to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001.

DRAFT RULES

1. **Short title, application and commencement.—**(1) These rules may be called Horse Gram Grading and Marking Rules, 2020.

(2) They shall apply to Horse Gram obtained from the plant *Dolichos biflorus and Macrotyloma uniflorum*. It is commonly known as Kulthi beans, Hurali, Madras gram.

(3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(b) "Authorized packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorization to grade and mark Horse Gram in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;

(c) "Certificate of Authorization" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorizing a person or a body of persons to grade and mark Horse Gram with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "Grade designation mark" means the "Agmark Insignia" referred to in rule 3.

(f) “Legal Metrology (Packed Commodities) Rules” means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 and General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meaning as are assigned to them under the Act.

3. **Grade designation mark.-** The grade designation mark shall consist of "AGMARK Insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule- I.

4. **Grade designations.-**The grade designations to indicate the quality of Horse Gram shall be as set out in column-I of criteria for grade designation of Schedule-II.

5. **Quality.-** For the purpose of these rules, the quality of Horse Gram shall be as given in Schedule-II.

6. **Method of packing.-** (1) Horse Gram shall be packed in new clean and dry jute bags or paper bags or cloth bags or poly woven bags with inner lining of food grade material or any bio-degradable packaging materials or poly packs of food grade material or any other packaging material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) The packing material shall be free from insect and fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(3) Horse Gram shall be packed in pack sizes in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or as may be allowed by the Agricultural Marketing Adviser under rule 11 of the General Grading Marking Rules.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot/batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Horse Gram of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.

7. **Method of Marking.-**(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under Rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package.

(a) name of the commodity;

(b) grade;

(c) variety or trade name; (optional)

(d) lot no.;

(e) date of packing;

(f) crop year(optional);

(g) net weight;

(h) name and address of the packer;

(i) maximum retail price (inclusive of all taxes);

(j) BEST BEFORE__________MONTH______YEAR;

(k) any other particulars as may be specified under Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or under Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) or any other law for the time being in force or any instructions issued under provision of the Act.

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Horse Gram.

(4) The authorized packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. **Special conditions of Certificate of Authorization.-**(1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules every authorised packer shall follow all instructions issued under the provisions of the Act

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per prescribed norms or have access to an approved state grading laboratory or cooperative or association laboratory or a Private Commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorized by him under rule 9 of the General Grading and Marking Rules, for testing the quality of Horse Gram.

(3) The premises of authorized packer shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued under the provisions of the Act.

SCHEDULE-I
(See rule 3)

(Design of AGMARK Insignia)

Name of the Commodity…………………………………………

Grade………………………………………………………………

SCHEDULE–II
(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of Horse Gram (Kulthi)

1. Horse Gram shall be obtained from the plant *Dolichos bifloru and Macrotyloma uniflorum*.

2. **Minimum Requirements:** (i) Horse Gram shall.-
   (a) have pleasant taste, flavour and uniform color;
   (b) be sound, properly cleaned, washed, dried, wholesome and characteristic to the variety;
   (c) be free from extraneous matter such as stones, dirt, clay etc.
   (d) be free from any foreign taste, odour and evidence of fermentation;
   (e) be free from living insects, dead insects, insect fragments, mites, rodent contamination and mould growth;
   (f) be free from any added colouring matter.

(ii) for domestic trade it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made for domestic trade under Food Safety & Standards Act-2006.

(iii) for export trade it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirements for exports.

3. Criteria for grade designation Horse gram:

TABLE

Grade Designation	Maximum limit of tolerance (percent by mass)							Weeviled grains, percent by count (Maximum)	Uric Acid (Maximum)
	Moisture	Foreign matter	Other edible grains	Admixture of other varieties	Defect grains		Discolored grains		
					Serious Defects	Slight Defects			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	8.0	0.25	1.0	1.0	0.5	3% of which broken pulses	1.0	1.0	

						must not exceed 0.5%			100 mg per Kg.
Standard	9.0	0.75	1.5	2.0	1.0	5 % of which broken pulses must not exceed 1.5%	2.0	2.0	
General	11.0	1.0*	2.0	4.0	1.0	7 % of which broken pulses must not exceed 3%	3.0	5.0	

***Note:** In which not more than 0.25 percent by mass shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent by mass shall be impurities of animal origin.

***Explanations*.-** for purposes of this table,-

(1) "Foreign matter" includes inorganic and organic matter. The inorganic matter shall include sand, gravel, dirt, pebbles, stones, glass and metallic pieces, lumps of earth, clay and mud. Organic matter shall include husk, chaff, straw, weed seeds and other inedible grains

(2) "Other Edible/food Grains" means edible grains (including oil seeds) grains other than the grain under consideration.

(3) "Admixture means" the presence of a variety of the same grain other than the variety in consideration.

(4) "Serious defects seeds" means in which the cotyledons have been affected or attacked by pest; seeds with very slight traces of mould or decay, or slight cotyledon staining.

(5) "Slight defects seeds" means in which seed not reached normal development, seeds with extensive seed coat staining, without the cotyledon being affected, seeds in which the seed coat is wrinkled, with pronounced folding or broken pulses.

(6) "Weeviled Grains" means are grain/kernels that are partially or wholly bored by insects injurious to grain but do not include germ-eaten grains and egg-spotted grains.

4. **Other requirements.-** (i) The condition of the Horse Gram shall be such as to enable it-

(a) to withstand transport and handling;

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Horse Gram shall be stored in cool, dry place; and properly maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No. Q11047/08 Horse gram/2019-std)

PRASANTA KUMAR SWAIN, Jt. Secy. (Marketing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.24 18:47:35 +05'30'